



संदेश

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। तभी से हम हर वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के तहत 'संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी' है। भारत सरकार ने सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम और नियम बनाए हैं और समय-समय पर इसके कार्यान्वयन के लिए आदेश व अनुदेश भी जारी किए हैं।

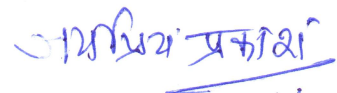
हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी है और विश्व के सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में इसकी गिनती हो रही है। देश और विश्व स्तर पर हिंदी के महत्व को देखते हुए हम सभी का दायित्व है कि हिंदी की चहुँमुखी प्रगति के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहें। भारत की राजभाषा होने के नाते हिंदी हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है।

संघ की राजभाषा नीति का आधार यद्यपि सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है, फिर भी संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

जहां तक औषध विभाग का संबंध है, इसमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग में वर्षानुवर्ष वृद्धि हो रही है फिर भी राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक प्रयत्न अपेक्षित है। मैं इस विभाग और अनुषंगी कार्यालयों में कार्यरत सभी वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपील करता हूँ कि वे अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करें जिससे उनके सहयोगी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी हिन्दी भाषा में सरकारी कामकाज करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिले।

आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूर्ण उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में ही करेंगे।

जय हिन्द


(जय प्रिय प्रकाश)